न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 85/2021

1 शिशराम पुत्र सुराराम जाति जाट निवासी दुड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गुलझारीराम पुत्र कालुराम।
2 रतनराम पुत्र कालुराम समस्त जाति जाट निवासीगण दुड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बखिलाफ आदेश दिनांक 14.09.2021 उनवानी गुलझारी वगैरह बनाम शिशराम वगैरह मुकदमा नम्बर 152/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

उपस्थिति :

1. श्री धीरज कुमार बोयल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री योगेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 07.04.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 152/2020 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 2 ने अदालत मातहत में एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम दुड़िया पटवार हल्का दुड़िया की सरहद में अवस्थित वर्तमान भूमि ख.न. 1025 व 1026 कुल किता 2 रकबा 2.4100 है. भूमि अवस्थित है। जो रे. न. 1 व 2 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें रे. न. 1 व 2 ने अपनी भूमि की सिंचाई के लिये चाह बनाकर उसमें विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा रिहायशी मकान बनाकर पशुधन सहित मय परिवार आबाद है। रे. न. 1 व 2 भूमि ख. न. 1384/1021 के दक्षिण सीमा के सहारे सहारे अपीलार्थी के खेत से होता हुआ रे. न. 1 व 2 की काश्त भूमि ख.न. 1025 व 1026 तक जाता है जिसे नजरी नक्शा में ए बी सी बिन्दु से दर्शाया गया है जो ए बिन्दु पर रे. न. 1 व 2 के खेत भूमि ख.न. 1384/1021 में प्रवेश करता है तथा बी बिन्दु पर अपीलार्थी भूमि ख.न. 1024 में प्रवेश कर सी बिन्दु पर रे. न. 1 व 2 की कृषि भूमि ख.न. 1025 व 1026 में प्रवेश करता है जो पिछले कई वर्ष से चालु है। ख.न. 1024 रकबा 2.2500 है. की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे करीबन 135 मीटर लम्बा तथा 4 मीटर चौड़ा रास्ता आने जाने के लिये एवं राजस्व रिकार्ड में इसका अमल दरामद हेतु आदेश प्रदान करें उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय अदालत के बिना किसी रिकार्ड तथ्य मौके पर मनन किये बिना विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.09.2021 को पारित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विचारण न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से की गई है। विचारण न्यायाल में सम्यक तामील नहीं करवाई गई है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भू-प्रबन्ध
सत्यमेव जयते
* सीकर *

न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट पर निर्णय पारित किया गया है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार आई एल आर से निचे की रिपोर्ट धारा 251 ए में स्वीकार्य नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को नोटिस जारी किये गये है। बाद तामील उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 13.07.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही मन्सुख करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपील के स्तर पर तामील का बिन्दु नहीं उठाया जा सकता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 11.09.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट आई एल आर गुढ़ागौड़जी द्वारा तैयार की गई है। इसमें स्पष्ट अंकन है कि प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त न्यूनतम दूरी पर अन्य रास्ता नहीं है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को नोटिस जारी किये गये है। बाद तामील उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 13.07.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही मन्सुख करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपील के स्तर पर तामील का बिन्दु नहीं उठाया जा सकता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 11.09.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट आई एल आर गुढ़ागौड़जी द्वारा तैयार की गई है। इसमें स्पष्ट अंकन है कि प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त न्यूनतम दूरी पर अन्य रास्ता नहीं है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर